न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 39/2019
(C.I.S. No. 70/2019)
(CNR No. RJRS010008912019)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

सुरेश पुत्र गोविंदलाल, निवासी चुन्दी, पुलिस थाना दिवेर, जिला राजसमंद (राज.)।

.... अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 304 भारतीय दंड संहिता

उपस्थित :–
1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री डूंगर सिंह बंजारा, विद्वान अधिवक्ता– अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 12.05.2026

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 84/2019 में बाद अनुसंधान दिनांक 28.05.2019 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़ में अभियुक्त सुरेश पुत्र गोविंदलाल, निवासी चुन्दी, पुलिस थाना दिवेर, जिला राजसमंद (राज.) के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। चूंकि प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, लिहाजा इस न्यायालय को उपार्पित (Commit) किया गया, जिसे दिनॉंक 06.07.2019 को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25.02.2019 को परिवादिया श्रीमती कंचन देवी ने बमुकाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़ पर थानाधिकारी, पुलिस थाना देवगढ़ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका जेठ गोमाराम उसके पड़ोस में

रहता था, उसके जेठ का नाता विवाह कमलादेवी के साथ हुआ था। दो माह से कमलादेवी की पहले की पुत्री हेमा कुमारी व उसका पति सुरेश कुमार उनके साथ ही रहते थे। दो दिन पहले कमला, हेमा, सुरेश कुमार तीनों उसके जेठ से मारपीट कर रहे थे, कल रात को भी उन तीनों ने उसके जेठ के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई ......इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना देवगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 84/2019 अपराध अंतर्गत धारा 302/34 भा.द.सं. में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मृतक गोमाराम की लाश का पंचायतनामा मुर्तिब किया गया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। बाद पोस्टमॉर्टम लाश जरिये फर्द वारिसान को सुपुर्द की गई। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये तथा गवाह सुश्री खुशबू व महेन्द्र के धारा 161 जा.फो. के वीडियोग्राफी बयान की सीडी बनायी जाकर संलग्न पत्रावली की गई। अभियुक्त को बाद पूछताछ गिरफ्तार कर उससे अनुसंधान किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा बाद प्रसंज्ञान इस प्रकरण को उपार्पित कर मामला इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राधेश्याम, पी.डब्ल्यू. 2 सुरेश भाई जाट, पी.डब्ल्यू. 3 कंचन, पी.डब्ल्यू. 4 उदय सिंह, पी.डब्ल्यू. 5 मीठालाल, पी.डब्ल्यू. 6 नारायणलाल, पी.डब्ल्यू. 7 मुकेश, पी.डब्ल्यू. 8 बालुराम, पी.डब्ल्यू. 9 सीतादेवी, पी.डब्ल्यू. 10 सुश्री खुशबू, पी.डब्ल्यू. 11 श्रीमती कमला देवी, पी. डब्ल्यू. 12 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 13 लीलादेवी, पी.डब्ल्यू. 14 रामभरोस, पी.

डब्ल्यू. 15 महेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 16 राधेश्याम, पी.डब्ल्यू. 17 हेमलता, पी.डब्ल्यू. 18 मुकेश सिंह, पी.डब्ल्यू. 19 गोरधनसिंह, पी.डब्ल्यू. 20 डॉ. शांतिलाल, पी.डब्ल्यू. 21 सुनील शर्मा व पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. महावीर प्रसाद को परीक्षित करवाया गया।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :—

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी. 1	फर्द पंचायतनामा
2.	प्रदर्श पी. 2	फर्द सुपुर्दगी
3.	प्रदर्श पी. 3	लिखित रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी. 4	अपराध का नक्शा—मौका
5.	प्रदर्श पी. 5	फर्द घटनास्थल तस्दीक
6.	प्रदर्श पी. 6	फर्द गिरफ्तारी सुरेश जाट
7.	प्रदर्श पी. 7	पुलिस बयान सुश्री खुशबू
8.	प्रदर्श पी. 8	पुलिस बयान श्रीमती कमला देवी
9.	प्रदर्श पी. 9	पुलिस बयान श्रीमती लीला देवी
10.	प्रदर्श पी. 10 ए	मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति
11.	प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान महेन्द्र
12.	प्रदर्श पी. 12	पुलिस बयान श्रीमती हेमलता
13	प्रदर्श पी. 13	एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु पुलिस थानाधिकारी देवगढ़ द्वारा पत्र
14	प्रदर्श पी. 14	एफ.एस.एल. में आर्टिकल भेजने हेतु पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र
15	प्रदर्श पी. 15	प्राप्ति रसीद
16	प्रदर्श पी. 16	रोजनामचा विवरण
17	प्रदर्श पी. 17	रोजनामचा विवरण
18	प्रदर्श पी. 18	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बाबत तहरीर
19	प्रदर्श पी. 19	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

20.	प्रदर्श पी. 20	सुश्री खुशबू के पुलिस बयान
21	प्रदर्श पी. 21	सुश्री महेन्द्र के पुलिस बयान
22.	प्रदर्श पी. 22	सम्मन
23.	प्रदर्श पी. 23	सम्मन
24.	प्रदर्श पी. 24	गवाहान के बयान लेखबद्ध कराने बाबत तहरीर
25	प्रदर्श पी. 25 लगायत प्रदर्श पी. 33	फोटोग्राफ्स
26	प्रदर्श पी. 34	सजायबी रिकॉर्ड सुरेश
27	प्रदर्श पी. 35	रोजनामचा विवरण
28	प्रदर्श पी. 36	रोजनामचा विवरण
29	प्रदर्श पी. 37	रोजनामचा विवरण
30	प्रदर्श पी. 38	सूचना चाहने बाबत तहरीर
31	प्रदर्श पी. 39	फर्द सूचना अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त सुरेश
32.	प्रदर्श पी. 40	मृतक के इलाज की पर्ची
33.	प्रदर्श पी. 41	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट

7. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा। यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी से जिरह के दौरान प्रदर्श डी.1 पुलिस बयान श्रीमती कंचन देवी को प्रदर्शित करवाया गया।

8. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :–

{1} **क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.2.2019 व 25.02.2019 की मध्य रात्रि को किसी समय जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र देवगढ़ के क्षेत्र ग्राम पीपली में परिवादिया श्रीमती कंचनदेवी के जेठ गोमाराम के साथ**

मारपीट की, जिससे उसके पेट की आंत फट गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी है ?

{2} **यदि, हॉ तो अभियुक्त के लिए उपयुक्त दंड क्या हो ?**

9. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राधेश्याम ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को पुलिस ने मृतक गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब कर बाद पोस्टमॉर्टम मृतक की लाश जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 उसके परिजनों को सुपुर्द की। उक्त फर्दात पर गवाह ने ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर होना कथन किया।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सुरेश ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को पुलिस ने मृतक गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब कर बाद पोस्टमॉर्टम मृतक की लाश जरिये फर्द प्रदर्श पी. 2 उसके परिजनों को सुपुर्द की। उक्त फर्दात पर गवाह ने सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर होना कथन किया।

11. गवाह पी.डब्ल्यू. 3 कंचन ने सशपथ बयान में कथन किया कि बयान से करीब डेढ़–दो साल पहले रात्रि करीब 11–12 बजे सुरेश उसके जेठ मृतक गोमाराम को गाली देते हुए कह रहा था कि तुमने 30–35 किलो गेहूं व पैसे चुरा लिये थे। गोमाराम का पेट, पीठ व मुंह नीला हो रखा था। उसको खुशबू व महेन्द्र ने बताया कि उनके पापा गोमाराम को मार दिया है। उसने इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया था, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. गवाह पी.डब्ल्यू. 4 उदयसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि बयान से करीब साल भर पहले पुलिस ने गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

13. गवाह पी.डब्ल्यू. 5 मीठालाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि गोमाराम की मृत्यु के मामले में पुलिस ने फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 05 व घटनास्थल का नक्शा—मौका प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया था, जिन पर उनके हस्ताक्षर है।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 6 नारायणलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि पुलिस ने अभियुक्त सुरेश भाट को जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मृतक गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब कर जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 लाश उसके परिजनों को सुपुर्द की थी, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू. 7 मुकेश ने सशपथ बयान में कथन किया कि बयान से करीब साल भर पूर्व पुलिस ने गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब किया, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू. 8 बालुराम ने सशपथ बयान में कथन किया कि सन् 2019 के दूसरे माह में उसके साला गोमाराम को अभियुक्त सुरेश द्वारा मार दिये जाने के मामले में पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा—मौका प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

17. गवाह पी.डब्ल्यू. 9 सीतादेवी ने सशपथ बयान में कथन किया कि बयान से करीब 03 वर्ष पूर्व उसने सुना कि गोमाराम की मृत्यु हो गई है। मृतक गोमाराम के साथ उसका जमाई सुरेश व उसकी पुत्री हेमा रहते थे।

18. गवाह पी.डब्ल्यू.10 सुश्री खुशबू पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि वह कक्षा 12 वी में रा.सी.सै. स्कूटल पीपली नगर में पढ़ रही है। सुरेश भाट अभियुक्त उसके जीजाजी लगते है। बयान से करीब चार साल पहले उसके पिताजी गोमाराम के पेट में दर्द हुआ और चक्कर आने से वे नीचे गिर गये थे, जिनको उसके जीजाजी सुरेश एवं उसकी मां कमला देवी देवगढ़ अस्पताल लेकर गये थे। दो दिन इलाज चलने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी थी। उसके पिताजी के साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी। लोक अभियोजन की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का सम्पूर्ण भाग लिखाने से इन्कार किया। साथ ही इस सुझाव से इन्कार

किया कि दिनांक 23.02.2019 को अभियुक्त सुरेश शराब पीकर घर आया हो और उसके पिता से गेहूं बेचने एवं 40 रुपये की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा व मारपीट की हो, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई हो।

19. गवाह पी.डब्ल्यू.11 श्रीमती कमला देवी पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि बयान से करीब चार साल पहले उसके पति गोमाराम शराब पीये हुये थे। रात को चारपाई के पागे पर पेट के बल गिर गये थे, जिससे उनके पेट में चोट आयी थी। फिर सुबह वह और उसके दामाद सुरेश उनको देवगढ़ अस्पताल लेकर गये। दो दिन तक अस्पताल लेकर गये थे। तीसरे दिन सुबह करीब 10 बजे अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसके पति के साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 लिखाये जाने से इन्कार किया।

20. गवाह पी.डब्ल्यू. 12 मोहनलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि बयान से करीब 4–5 साल पहले पुलिस ने अभियुक्त सुरेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 गिरफ्तार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू.13 लीला देवी पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि उसका मकान गोमाराम के मकान से थोड़ा दूर है। बयान दिनांक से चार साल पहले सुबह करीब 09–10 बजे गोमाराम की मां फूलीदेवी उसे बुलाने आई और कहा कि गोमाराम की तबियत ज्यादा खराब हो रही है। फिर वह गोमाराम के घर गई और वहां पर देखा कि उसकी तबियत ज्यादा खराब है तो वह उसके बच्चे को लेने के लिए उसके घर आ गई। जिस वक्त वह गोमाराम के घर पहुंची तो वहां पर कमला, खूशबू, कंचन व सुरेश मौजूद थे। फिर गोमाराम को लेकर उसकी पत्नी कमला देवी व सुरेश देवगढ़ अस्पताल लेकर चले गये। फिर गोमाराम की देवगढ़ अस्पताल में मृत्यु हो गई। इसके अलावा उसने कुछ नहीं सुना।

22. गवाह पी.डब्ल्यू. 14 रामभरोस ने सशपथ बयान में कथन किया कि वह दिनांक 26.03.2019 को पुलिस थाना देवगढ़ में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दौरान मालखाना इंचार्ज नरोत्तमपुरी हैड कांस्टेबल के

अवकाश पर होने से वह मालखाना का कार्यवाहक इंचार्ज भी था। उक्त तिथि को इस प्रकरण का मालखाना आर्टिकल एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु कांस्टेबल मुकेश को सुपुर्द किया, जिसका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 10 के क्रम संख्या 38/247 पर किया, जिस पर ए से बी स्थान पर आर्टिकल देने का इन्द्राज एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू. 15 महेन्द्र पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी बड़ी बहन हेमलता और उसके जीजा का नाम सुरेश है। सन् 2019 की बात है तारीख–महीना उसे ध्यान नहीं है, परंतु सर्दी का समय था। उसके जीजा सुरेश भीम से आये थे, थोड़ी–बहुत शराब पीकर आये थे। साथ में सब्जी लेकर आये थे। घर आकर सब्जी बनाई और उन्होंने खाना खाया और सो गये। वह उसके पिताजी वगैरह नीचे सोये थे। ऊपर कमरे में सुरेश सोये थे। उस रात उसके पुत्र गोमाराम ने भी शराब पी रखी थी। रात को करीब एक बजे गेहूं की बात को लेकर उसके जीजा सुरेश व उसके पिता में छोटा–मोटा झगड़ा हुआ था। उस वक्त मारपीट नहीं हुई थी। किसी ने बीच–बचाव नहीं किया। सुरेश ने किसी के नहीं मारी। उसके पिताजी ने दारू पी रखी थी तो वह उपर की छत से नीचे गिर गये, जिस कारण उनके पेट में चोट आई। उसके पिताजी थोड़े–बहुत बीमार हुए। फिर उन्हें अस्पताल लेकर गये। उसके पिता के शरीर पर सूजन आ गई थी एवं फिर उनकी मृत्यु हो गई। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का सी से डी व ई से एफ भाग लिखाये जाने से इन्कार किया।

24. गवाह पी.डब्ल्यू. 16 राधेश्याम ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 24.02.2019 को उसकी ड्यूटी सीएचसी देवगढ़ में ओपीडी पर्ची काउंटर पर थी। उस दिन करीब साढ़े दस बजे 10/– रूपये लेकर गोमाराम के नाम से ओपीडी में पर्ची काटी थी।

25. गवाह पी.डब्ल्यू. 17 हेमलता पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी मां का नाम कमला देवी तथा पिता का नाम ओमप्रकाश है, जो छापली रहते हैं। उसकी माता गोमाराम के नाते आई थी। वह भी उसकी मां के साथ आ गई थी। उसका विवाह हाजिर अदालत

मुल्जिम सुरेश के साथ करीब सात–आठ वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी माता कमला देवी गोमाराम के नाते आई तो उनके गोमाराम से दो संताने खूशबू व महेन्द्र हुई। उसका पति सुरेश राब पीता व मीट खाता था तथा बीड़ी पीता था। वह विमल खाती थी, जिस कारण उसका सुरेश से झगड़ा हो गया था। वे दोनों झगड़ रहे थे, तब उसके पिताजी गोमाराम बीच–बचाव कराने आये तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, परंतु उन्होंने शराब पी रखी थी, जिस कारण वे खुद नीचे गिर गये थे।

26. गवाह पी.डब्ल्यू. 18 मुकेश सिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि वह दिनांक 26.03.2019 को पुलिस थाना, देवगढ़ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन इस प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल एफ.एस.एल. में जमा कराने के लिये पुलिस थाना देवगढ़ के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 13 सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राजसमंद आया, जहां से अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 14 तैयार करा आर्टिकल्स एफ.एस.एल. उदयपुर में जमा करा रसीद प्रदर्श पी. 15 प्राप्त की, जिस पर ए से बी स्थान पर विशेष वाहक के रूप में उसका नाम अंकित है। रोजनामचा रपट रवानगी प्रदर्श पी. 16 व आमद प्रदर्श पी. 17 है।

27. गवाह पी.डब्ल्यू. 19 गोरधनसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को वह पुलिस थाना देवगढ़ में ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत था। उस दिन सी.एच.सी. देवगढ़ में कंचनदेवी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 के आधार पर प्रकरण दर्ज किया। मृतक गोमाराम की लाश का पोस्टमॉर्टम कराने बाबत सी.एच.सी. देवगढ़ के एम.ओ. को तहरीर प्रदर्श पी. 18 दी। मृतक गोमाराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी 01 मुर्तिब कर लाश जरिये फर्द प्रदर्श पी 02 उसके वारिस नारायणलाल को सुपुर्द की। उक्त फर्दात पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना भी कथन किया।

28. गवाह पी.डब्ल्यू. 20 डॉ. शांतिलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को वह सी.एच.सी. देवगढ़ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना देवग़ की तहरीर प्रदर्श पी. 18 के आधार पर मृतक गोमाराम की लाश का पोस्टमॉर्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 19

तैयार की, जिस पर ए से बी मेडिकल बोर्ड की राय, सी से डी मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के नाम, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक गोमाराम की मृत्यु पेट में पेनिट्रेटिंग इंजरी होने से छोटी आंत में अत्यधिक रक्तस्त्राव होने से हुई थी।

29. गवाह पी.डब्ल्यू. 21 सुनील शर्मा ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को वह पुलिस थाना देवगढ़ में उप.निरीक्षक थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन एएसआई गोवर्धन सिंह ने सीएचसी देवगढ़ से वापसी पर श्रीमती कंचन देवी द्वारा सीएचसी देवगढ़ पर पेशशुदा रिपोर्ट मय पंचायतनामा ईत्यादि के उसके समक्ष लाकर पेश की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। इसके उपरांत उसके द्वारा प्रकरण संख्या 84/19 धारा 302, 34 भा0दं0सं0 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा दिनांक 26.02.2019 को प्रार्थीया कंचन देवी की निशादेही नक्शा–मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया गया था। गवाहान खूशबू, कमला देवी, लीला देवी, महेन्द्र, हेमलता, सीतादेवी, फूलीदेवी, रामभरोस, राधेश्याम, मुकेश सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये । सुश्री खूशबू व महेन्द्र पुत्र गोमाराम के न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाये गये थे जो क्रमशः प्रदर्श पी 20 व 21 हैं। उक्त गवाहान खूशबू व महेन्द्र के न्यायालय से बयानों के लिए जारी सम्मन प्रदर्श पी 22 व 23 हैं। सी.जे.एम. को गवाह खूशबू व महेन्द्र के बयान लेखबद्ध करने के लिए उसके द्वारा लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी 24 है । उक्त सभी फर्दात पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना कथन किया।

उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 21 ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि पोस्टमार्टम से पूर्व पंचनामा के दौरान मृतक गोमाराम के फोटोग्राफ्स खिंचवाये जाकर सीडी तैयार की गई थी, जो आर्टीकल 01 है। सीडी में फोटोग्राफ्स मौजूद है जो प्रदर्श पी 25 से लगायत 33 तक है। आरोपी सुरेश का सजायाबी रिकार्ड प्रदर्श पी 34 प्राप्त किया गया। उसकी दिनांक 25.02.2019 को थाने से सीएचसी के लिए रवानगी की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 35 एवं

थाने पर वापसी की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 36 है। एएसआई गोवर्धन सिंह की सीएचसी पर पी.एम. कराये जाने के बाद थाने पर वापसी की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 37 है। उसके द्वारा एम.ओ. सी.एच.सी. देवगढ़ को मृतक गोमाराम की ओपीडी पर्ची दिलवाये जाने के संबंध में लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी 38 है। अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध धारा 304 भा0दं0सं0 का जुर्म प्रमाणित पाया जाने से उसे दिनांक 27.02.2019 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 06 गिरफ्तार किया गया। उक्त सभी फर्दात पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना कथन किया।

उक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 21 ने अपने सशपथ बयान में कथन किया कि दौराने अनुसंधान जैर हिरासत अभियुक्त सुरेश ने अपनी स्वेच्छा से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 39 इस आशय की दी थी कि ''दिनांक 23.02.2019 को जिस स्थान पर रात्रि में गोमाराम के साथ मारपीट की थी, वो स्थान साथ चलकर बता सकता हूं।'' उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त सुरेश की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कर फर्द तस्दीक घटनास्थल मुर्तिब की गई थी जो प्रदर्श पी 05 है। गोमाराम की ओपीडी क्रमांक 2019022714 की पर्ची दिनांक 24.02.2019 को अनुसंधान के दौराने प्राप्त की जो प्रदर्श पी 40 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 41 व मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 10ए है। उसके द्वारा मृतक का बिसरा एफएसएल जांच हेतु भिजवाये जाने के लिए एस.पी. राजसमंद को अग्रेषण पत्र लिखा गया था जो प्रदर्श पी 13 है । एस.पी. साहब द्वारा एफएसएल उदयपुर को लिखा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 14 है। विशेष वाहक मुकेश कानिस्टेबल ने एफएसएल में माल जमा करा कर रसीद प्रदर्श पी 15 लाकर उसे सुपुर्द की थी। मुकेश कानिस्टेबल की एफएसएल हेतु रवानगी व वापसी की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 16 व 17 है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 है। कुलिया अनुसंधान से अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध अपराध धारा 304 भा0दं0सं0 का अपराध प्रमाणित मानकर चार्जशीट कता कर न्यायालय में पेश की।

30. गवाह पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. महावीर प्रसाद ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 25.02.2019 को वह सी.एच.सी. देवगढ़ में मेडिकल ऑफिसर

के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना देवगढ़ की तहरीर प्रदर्श पी 18 के आधार पर मृतक गोमाराम की लाश का पोस्टमॉर्टम कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 तैयार की, जिस पर ए से बी मेडिकल बोर्ड की राय, सी से डी मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के नाम, जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक गोमाराम की मृत्यु पेट में पेनिट्रेटिंग इंजरी से छोटी आंत के फटने से एवं अत्यधिक रक्त्रस्त्राव होने से हुई थी।

31. **विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस** के दौरान तर्क दिया गया कि इस प्रकरण की परिवादी कंचन ने घटना वाली रात्रि को अभियुक्त द्वारा गोमाराम के साथ झगड़ा व गाली गलौंच करने का स्पष्ट कथन किया है। यद्यपि गवाह खुशबू व श्रीमती कमला देवी पक्षद्रोही हुए हैं, लेकिन इन दोनों गवाहों के बयानों से भी गोमाराम के पेट में चोट आने का तथ्य साबित हुआ है। घटनास्थल के पड़ोसी गवाह लीलादेवी एवं मृतक के पुत्र महेन्द्र ने वक्त घटना अभियुक्त सुरेश की मौके पर मौजूद को साबित किया है। प्रकरण की मुख्य गवाह हेमलता ने उसके पति सुरेश, यानि अभियुक्त द्वारा शराब पीकर मृतक गोमाराम के साथ झगड़ा करने, जिसके कारण गोमाराम के नीचे गिरने से चोट आने के स्पष्ट कथन किये हैं। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह डॉ. शांतिलाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदश पी 19 की पुष्टि करते हुए मृतक गोमाराम की मृत्यु पेट में पेनिट्रेटिंग इंजरी होने से छोटी आंत में अत्यधिक रक्त स्राव होने के परिणामस्वरूप होना साबित किया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुनील शर्मा ने उसके द्वारा किये गये विस्तृत अनुसंधान की ताईद करते हुए अभियुक्त की स्वैच्छिक इत्तिला के आधार पर घटनास्थल तस्दीक कराये जाने के संबंध में कथन किये हैं और अनुसंधान से उसके विरुद्ध धारा 304 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए ही चार्जशीट पेश की है। लिहाजा अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है।

32. **अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस** के दौरान तर्क दिया कि इस प्रकरण के सभी चश्मदीद गवाह खुशबू, महेन्द्र, कमलादेवी व हेमलता पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा सभी ने मृतक गोमाराम का शराब पीकर पेट के

बल नीचे गिरने से चोट आने का कथन किया है। प्रकरण की परिवादिया कंचनदेवी ने स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 का ही समर्थन नहीं किया है, बल्कि इसने सुरेश द्वारा गोमाराम को केवल गाली देना बताया है और वैसे भी यह गवाह चश्मदीद साक्षी नहीं है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा मृतक गोमाराम के पेट में लात मारने के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है, परन्तु स्वयं अभियोजन गवाह पी.डब्ल्यू. 20 डॉ. शांतिलाल व पी.डब्ल्यू. 22 डॉ. महावीर प्रसाद ने गोमाराम की मृत्यु पेट में पेनिट्रेटिंग इंजरी के कारण होना बताया है, परन्तु जिरह में स्वीकार किया कि गोमाराम के पेट पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है तथा यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है कि गोमाराम की मृत्यु किसी धारदार या नुकीली वस्तु से कारित चोट की वजह से हुई हो और न ही अभियुक्त के कब्जे से ऐसी कोई नुकीली वस्तु बरामद होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

33. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण का प्रारंभ परिवादिया कंचन के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 से हुआ। इस रिपोर्ट में परिवादिया ने लिखा कि उसका जेठ गोमाराम उसके पड़ोस में रहता था, उसके जेठ का नाता विवाह कमलादेवी के साथ हुआ था। दो माह से कमलादेवी की पहले की पुत्री हेमा कुमारी व उसका पति सुरेश कुमार उनके साथ ही रहते थे। दो दिन पहले कमला, हेमा, सुरेश कुमार तीनों उसके जेठ से मारपीट कर रहे थे, कल रात को भी उन तीनों ने उसके जेठ के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मृतक का पोस्टमॉर्टम कराया गया तथा गवाहान के बयान लिये गये, बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 304 भा.दं.सं. में पेश किया। अभियोजन द्वारा इस प्रकरण में चार्जशीट अभियुक्त सुरेश द्वारा मृतक गोमाराम के पेट में लात मारने से गोमाराम की मृत्यु होने के आधार पर पेश की गई है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोप की सत्यता प्रमाणित करने के संबंध में प्रकरण में 04 चमश्दीद गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें पी.डब्ल्यू. 10 सुश्री खुशबू, पी.डब्ल्यू. 11 कमला देवी, पी.डब्ल्यू. 15 महेन्द्र व पी.डब्ल्यू. 17 हेमलता हैं। गवाह खुशबू, जो कि मृतक गोमाराम की पुत्री है, ने अपने मुख्य बयानों में ही स्पष्ट कहा है कि उसके पिता गोमाराम के पेट में दर्ज हुआ और चक्कर आने से वे नीचे गिर गये थे, जिनको उसके जीजा सुरेश व मां कमला देवी देवगढ़ अस्पताल ले गये और दो दिन इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस गवाह ने यह भी कथन किया कि उसके पिता के साथ किसी ने मारपीट नहीं की। इस प्रकार स्वयं मृतक की पुत्री ने अभियुक्त द्वारा उसके पिता के साथ किसी प्रकार की मारपीट किये जाने के तथ्य से इन्कार कर दिया है। इसी क्रम में गवाह कमला देवी ने भी कथन किया कि उसके पति गोमाराम शराब पीये हुए थे, रात को चारपाई के पागे पर पेट के बल गिरने से उनके पेट में चोट आई थी। गवाह महेन्द्र भी मृतक गोमाराम का पुत्र है, जिसने यद्यपि सुरेश व गोमाराम के बीच छोटा मोटा झगड़ा होना अवश्य कहा है, परन्तु किसी प्रकार की मारपीट से इन्कार किया है, साथ ही कथन किया कि उसके पिता ने दारू पी रखी थी, जो नीचे गिरने के कारण उनके पेट में चोट आई। इसी प्रकार गवाह हेमलता, जो कि मृतक गोमाराम की पत्नी के दूसरे पति ओमप्रकाश की पुत्री है, ने कथन किया कि, वह व उसका पति सुरेश दोनों झगड़ रहे थे, तब उसके पिता गोमाराम बीचबचाव करने आये तो शराब पीये हुए होने के कारण खुद ही नीचे गिर गये। इस प्रकार उक्त चारों मुख्य व चश्मदीद गवाहों ने ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त सुरेश द्वारा मृतक गोमाराम के साथ किसी प्रकार की मारपीट की गई, बल्कि गोमाराम शराब के नशे में होकर स्वयं पलंग से नीचे गिरने से उसके पेट में चोट लगने का तथ्य ही जाहिर आता है।

प्रकरण की परिवादिया कंचन देवी को पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, परन्तु यह गवाह प्रकरण की चश्मदीद साक्षी नहीं है। यद्यपि यह गवाह घटनास्थल की पड़ोसी है तथा इसने अभियुक्त के चिल्लाने व

गोमाराम को गाली देने की आवाज आना अवश्य कहा है, साथ ही कथन किया कि सुरेश गोमाराम को चिल्लाकर कह रहा था कि तुमने 30–35 किलो गेहूं चुरा लिये और पैसे चुरा लिये, परन्तु जब इस गवाह से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई तो इस गवाह ने कथन किया कि **''यह कहना सही है कि मैंने गोमाराम के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा था, सिर्फ सुना था''**। इस प्रकार इस गवाह के बयानों से यह तथ्य कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त सुरेश ने गोमाराम के साथ किसी प्रकार की मारपीट की हो, बल्कि जिरह में की गई स्वीकारोक्ति से यह तथ्य उजागर होता है कि यह गवाह केवलमात्र अनुश्रुत साक्षी है तथा सुनी सुनाई बात के आधार पर ही इसने रिपोर्ट पेश की है और न्यायालय में बयान दिये हैं। हालांकि इस गवाह ने मुख्य बयानों में उसको गोमाराम को मारने वाली बात गोमाराम की लड़की खुशबू व लड़के महेन्द्र द्वारा बताया जाना अवश्य जाहिर किया गया, परन्तु चूंकि उक्त दोनों गवाह खुशबू व महेन्द्र ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उनके पिता गोमाराम के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं किये जाने का ही तथ्य प्रकट किया है। उक्त गवाह कंचन ने जिरह में यह भी कथन किया कि **''यह कहना सही है कि खड्डा खोदकर होद बनाने को लेकर गोमाराम की पत्नी कमला, उसकी पुत्री हेमा व उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, स्वयं कहा कि झगड़ा गोमाराम की मृत्यु से पहले हुआ था''**। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 देने से पहले गोमाराम की पत्नी कमला, पुत्री हेमा व किरण एवं पुत्र महेन्द्र भी था और दूसरे अन्य रिश्तेदार भी घर पर थे। इस प्रकार गवाह द्वारा की गयी उक्त स्वीकारोक्तियों से यही तथ्य जाहिर आता है कि परिवादिया/रिपोर्टकर्ता कंचन द्वारा गोमाराम की मृत्यु से पूर्व उसकी पत्नी व पुत्री से हुए झगड़े के चलते द्वेषतावश कमला देवी एवं उसके पश्चात्वर्ती पति ओमप्रकाश की पुत्री हेमा/हेमलता तथा हेमलता के पति यानि अभियुक्त सुरेश के विरुद्ध मनगढ़न्त कहानी गढ़ते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जबकि स्वयं इस गवाह के अनुसार घटना के तुरन्त पश्चात् मृतक गोमाराम की पत्नी कमलादेवी, हेमा, किरण व महेन्द्र एवं अन्य रिश्तेदार मौके पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी उक्त द्वेषता के चलते मृतक के परिवारजन व रिश्तेदारों की मौजूदगी के बावजूद रिपोर्ट पेश कर दी गई

जबकि इस गवाह के अनुसार यह स्वयं अनुश्रुत साक्षी है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के बयान अभियुक्त द्वारा गोमाराम के साथ किसी प्रकार की मारपीट करने या उसे चोट कारित करने तथ्यों को साबित करने के संबंध में किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं।

अभियोजन द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले साक्षीगण शांतिलाल व महावीर प्रसाद को क्रमशः पी.डब्ल्यू. 20 व पी.डब्ल्यू. 22 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिन दोनों ही गवाहों ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 तैयार करना बताते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक गोमाराम की मृत्यु पेट में पेनिट्रेटिंग इंजरी होने से छोटी आंत में अत्यधिक रक्त स्राव होने से होना कहा है। यह उल्लेखनीय है कि Penetrating Injury (भेदनकारी चोट) उस स्थिति में कारित होती है जब कोई बाहरी वस्तु (जैसे चाकू, गोली या कांच का टुकड़ा) त्वचा को चीरते हुए शरीर के अंदर प्रवेश कर जाये तो उससे एक घुला घाव बन जाता है। इस संबंध में उक्त दोनों गवाहों ने ही जिरह में स्वीकार किया है कि पेनिट्रेटिंग इंजरी में जब किसी नुकीले हथियार से शरीर पर चोट की जाती है तो सर्वप्रथम चोट त्वचा पर आती है, उसके पश्चात् आंतरिक अंग पर जाती है, परन्तु इन गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक गोमाराम के पेट पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी, केवल एक खरोंचनुमा निशान अवश्य था। अर्थात् स्वयं चिकित्सकीय साक्षियों के अनुसार मृतक गोमाराम के पेट पर कोई अंदर तक घावनुमा चोट नहीं थी और यदि ऐसी कोई चोट मृतक को कारित होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे अंदर तक गहरे घाव का अंकन अवश्य होता, क्योंकि गोमाराम की मृत्यु कथित घटना की रात्रि के अगले दिन सुबह ही हो गई थी तथा उसका शव परीक्षण भी अगले दिन सुबह ही किया गया था। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से ऐसी कोई नुकीली या धारदार वस्तु भी बरामद नहीं हुई है, जिससे कि गोमाराम को चोट कारित हुई हो, बल्कि चार्जशीट में अंकित तथ्यों के अनुसार तो अभियुक्त द्वारा गोमाराम के पेट में लात मारने से उसके चोट आई थी। इस प्रकार चूंकि वक्त पोस्टमार्टम मृतक के शरीर/पेट पर कोई जाहिर चोट अथवा अंदर तक घावनुमा चोट नहीं पायी गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण Penetrating

Injury आना ही बताया गया है, जबकि स्वयं अनुसंधान अधिकारी के अनुसार अभियुक्त सुरेश द्वारा गोमाराम के पेट में लात मारने से उसकी मृत्यु हुई, इस प्रकरण में अभियुक्त से किसी नुकीली या धारदार वस्तु की बरामदगी नहीं बताई गई है, साथ ही प्रकरण के सभी चश्मदीद गवाह मृतक गोमाराम के शराब के नशे में होकर चारपाई से पेट के बल गिरने से उसके चोट आने का तथ्य प्रकट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा गोमराम के साथ किसी प्रकार की मारपीट किये जाने अथवा मारपीट के परिणामस्वरूप कारित चोटों से गोमाराम की मृत्यु हो का तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

34. निष्कर्षतः अभियुक्त सुरेश पुत्र गोविंदलाल, निवासी चुन्दी, पुलिस थाना दिवेर, जिला राजसमंद (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

35. निर्णय आज दिनांक **12.05.2026** को लिखाया जाकर, विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a

Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.05.25 19:50:33 +05'30'